

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 - 137/2018

अनवान : -

1. रूलीचंद पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. भागीरथ पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसार तहसील व जिला सिरसा।
2. वीरसिंह पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसार तहसील व जिला सिरसा।
3. ईश्वरसिंह पुत्र प्रभूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसार तहसील व जिला सिरसा।
4. पवन कुमार पुत्र प्रभूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसार तहसील व जिला सिरसा।
5. अशोक पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. गोंविन्दराम पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. ठिण्डूराम पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री संदीप गोदारा वादी
श्री प्रेमप्रकाश झोरड प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता सं0 74/21 के मु0 न0 15 किला न0 18 ता 23, मु0 न0 16 किला न0 23 ता 25, मु0 न0 23 किला न0 3 ता 8, 13, मु0 न0 24 किला न0 1 ता 3, 8, 9, 10 कुल 5.556 है0 जिसमें से नहरी 5.414 है0, गै0 मु0 खाला 0.152 है0, खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्फा की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया गया उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्फा खाला में दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

(Handwritten signature)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने दावा की संभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है व प्रतिवादी सं० 7 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने अनापति जाहिर की।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही चक 10 एनटीआर के खाता सं० 74/21 के मु० न० 15 किला न० 18 ता 23, मु० न० 16 किला न० 23 ता 25, मु० न० 23 किला न० 3 ता 8, 13, मु० न० 24 किला न० 1 ता 3, 8, 9, 10 कुल 5.556है० जिसमें से नहरी 5.414है०, गै० मु० खाला 0.152है०, खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्फा की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

चक 10 एनटीआर

प्रतिवादी सं० 1 बंशीलाल पुत्र मुखराम 0.780है० प्रतिवादी सं० 2 वीरसिंह, प्रतिवादी सं० 3 ईश्वरसिंह, प्रतिवादी सं० 4 पवन कुमार पि० प्रभूराम 0.761है० जाति खाती साकिन लुदेसर तहसील व जिला सिरसा खातेदार:- मु० न० 23 के किला न० 4/2 की 0.011है० नहरी किला न० 5/3 की 0.012है० नहरी मु० न० 24 किला न० 1/1 की 0.228है० नहरी किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला किला न० 2/1 की 0.227है० नहरी किला न० 2/2 की 0.026है० गै० मु० खाला किला न० 3/1 की 0.227है० नहरी किला न० 3/2 की 0.026है० गै० मु० खाला 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, कुल 1.541है०, जिसमें नहरी 1.464है०, गै० मु० खाला 0.077है०।


वादी सं. 1 रूलीचंद, वादी सं. 2 भागीरथ पि० ठिण्डूराम 1.075है०, प्रतिवादी सं. 5 अशोक कुमार, प्रतिवादी सं. 6 गोविन्दराम पि० ठिण्डूराम 1.094है०, प्रतिवादी सं. 8 ठिण्डूराम पुत्र मुखराम 1.856है० जाति खाती साकिन नेठराना खातेदार:- मु० न० 15 किला न० 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 किला न० 23-24 प्रत्येक की 0.253है० नहरी किला 25/1 की 0.228है० नहरी 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 23 किला न० 3 की 0.253है० नहरी किला न० 4/1 की 0.242है० नहरी किला न० 5/1 की 0.216है० नहरी किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है० नहरी किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला किला न० 7-8-13 प्रत्येक की 0.253है० नहरी कुल 4.025है० जिसमें 3.950है० नहरी, 0.075है० गै० मु० खाला



वादी सं. 1 रूलीचंद, वादी सं. 2 भागीरथ पि० ठिण्डूराम 1.075है०, प्रतिवादी सं. 5 अशोक कुमार, प्रतिवादी सं. 6 गोविन्दराम पि० ठिण्डूराम 1.094है०, प्रतिवादी सं. 8 ठिण्डूराम पुत्र मुखराम 1.856है० जाति खाती साकिन नेठराना खातेदार:- मु० न० 15 किला न० 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, मु० न० 16 किला न० 23-24 प्रत्येक की 0.253है० नहरी किला 25/1 की 0.228है० नहरी 25/2 की 0.025है० गै०मु० खाला ,मु० न० 23 किला न० 3 की 0.253है० नहरी किला न० 4/1 की 0.242है० नहरी किला न० 5/1 की 0.216है० नहरी किला न० 5/2 की 0.025है० गै०मु० खाला , किला न० 6/1 की 0.2280है० नहरी किला न० 6/2 की 0.025है० गै०मु० खाला किला न० 7-8-13 प्रत्येक की 0.253है० नहरी कुल 4.025है० जिसमें 3.950है० नहरी, 0.075है० गै०मु० खाला

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादशा जिला हनुमानगढ़



डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

नि०न० - 137/2018

अनवान :-

1. रूलीचंद पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
 2. भागीरथ पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
- :-वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
2. वीरसिंह पुत्र प्रभूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
3. ईश्वरसिंह पुत्र प्रभूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
4. पवन कुमार पुत्र प्रभूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
5. अशोक पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. गोंविन्दराम पुत्र ठिण्डूराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. ठिण्डूराम पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी नेठराना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र गोयल व वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेमप्रकाश झोरड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही चक 10 एनटीआर के खाता सं० 74/21 के मु० न० 15 किला न० 18 ता 23, मु० न० 16 किला न० 23 ता 25, मु० न० 23 किला न० 3 ता 8, 13, मु० न० 24 किला न० 1 ता 3, 8, 9, 10 कुल 5.556है० जिसमें से नहरी 5.414है०, गै० मु० खाला 0.152है०, खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्फा की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


चक 10 एनटीआर

प्रतिवादी सं० 1 बंशीलाल पुत्र मुखराम 0.780है० प्रतिवादी सं० 2 वीरसिंह, प्रतिवादी सं० 3 ईश्वरसिंह, प्रतिवादी सं० 4 पवन कुमार पि० प्रभूराम 0.761है० जाति खाती साकिन लुदेसर तहसील व जिला सिरसा खातेदार:- मु०न० 23 के किला न० 4/2 की 0.011है० नहरी किला न० 5/3 की 0.012है० नहरी मु० न० 24 किला न० 1/1 की 0.228है० नहरी किला न० 1/2 की 0.025है० गै०मु० खाला किला न० 2/1 की 0.227है० नहरी किला न० 2/2 की 0.026है० गै०मु० खाला किला न० 3/1 की 0.227है० नहरी किला न० 3/2 की 0.026है० गै०मु० खाला 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, कुल 1.541है०, जिसमें नहरी 1.464है०, गै० मु० खाला 0.077है०।



उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़